बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्रीमती आरूप (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 969/23, विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2701 दिनांक 27.12.2024 द्वारा गठित आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया। शिक्षा विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

श्रीमती आरूप के विरुद्ध आरोप है कि :–

(i) दिनांक 22.04.2024 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया। योगदान स्वीकृति के पश्चात् कार्य आवंटित किये जाने के बाद श्रीमती आरूप बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर चली गयीं।

(ii) बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर चले जाने के आलोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती आरूप द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया जो इनके अनुशासनहीनता एवं आदेशोल्लंघन का द्योतक है।

(iii) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में अभी तक योगदान समर्पित नहीं किया गया है एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

श्रीमती आरूप का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

विभागीय पत्रांक 1183 दिनांक 21.01.2025 द्वारा श्रीमती आरूप से प्रतिवेदित आरोप पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में इनके पत्र दिनांक 10.02.2025 द्वारा आरोपवार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि इनके द्वारा दिनांक 16.06.2025 को अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान समर्पित किया गया है। इनके द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में समय–समय पर लगातार उपार्जित अवकाश का आवेदन दिये जाने का उल्लेख करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्रीमती आरूप के विरुद्ध गठित आरोप–पत्र एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती आरूप द्वारा दिनांक 25.04.2024 से 29.04.2024 तक कुल–05 दिनों का आकस्मिक अवकाश ई–मेल के माध्यम से दिया गया। उसके बाद से इनके द्वारा लगातार 17 (सत्तह) बार उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती आरूप बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर चले जाने के आलोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया एवं एक साल से अधिक बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहीं। एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते श्रीमती आरूप का अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित होना, इनके घोर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार सेवा संहिता के नियम–152 के तहत अवकाश अधिकार नहीं है। प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी को अवकाश स्वीकृति के उपरांत ही इसका उपभोग किया जाना है। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

(कृ०पृ०उ०)

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती आरूप द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23738 दिनांक 22.12.2025 द्वारा **"निन्दन (आरोप वर्ष 2024–25)"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

श्रीमती आरूप द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें विभाग द्वारा प्रदत्त "निन्दन" के दंडादेश को मुख्यतः तीन बिन्दुओं के आधार पर विलोपित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

(i) इनका कहना है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्यालय में योगदान समर्पित करने के पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अवकाश में प्रस्थान किया गया। यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधान का उल्लंघन बताया गया है, इससे संबंधित कोई पूर्व कृत्य की जानकारी मुझे नहीं दी गयी है। ऐसा आरोप सर्वथा निराधार, वेबुनियाद तथा तथ्य से परे है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) में हर सरकारी सेवक के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है।

स्पष्ट है कि एक सरकारी सेवक के लिए कर्त्तव्यपरायण एवं अनुशासित होना चाहिए। श्रीमती आरूप के द्वारा लगातार आवेदन/ई–मेल के माध्यम से अवकाश हेतु अनुरोध किया जाना एक वरीय एवं प्रमुख पद पर पदस्थापित होने के नाते स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) इनका कहना है कि इनके द्वारा दिनांक 25.04.2024 से 29.04.2024 तक कुल–05 दिनों का आकस्मिक अवकाश ई–मेल के माध्यम से दिया था। इसके बाद लगातार 17 बार उपार्जित अवकाश स्वीकृति आवेदन मैंने दिया था। इन्होंने उल्लिखित किया है कि अनुशासनिक प्राधिकार का उक्त कथन अपने आप में स्पष्ट एवं पर्याप्त है कि मैंने प्रश्नगत अवकाश की पूर्व सूचना सक्षम प्राधिकार को ससमय दे दी थी/देती रही थी, तो इसे अनधिकृत अवकाश की संज्ञा कैसे दी जा रही है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवक के लिए अवकाश के संबंध में बिहार सेवा संहिता नियम–152 के तहत अवकाश अधिकार नहीं है। प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी को अवकाश स्वीकृति के उपरांत ही इसका उपभोग किया जाना है। श्रीमती आरूप द्वारा लगातार कार्यालय स्थल से अनुपस्थित रहने एवं लगातार 17 बार अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन ई–मेल इत्यादि के माध्यम से दिया जाता रहा। एक वरीय पदाधिकारी होने के नाते इनके द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति के इतनी लंबी अवधि तक कार्यालय स्थल से अनुपस्थित रहना घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है।

(iii) श्रीमती आरूप के द्वारा स्वयं की बीमारी एवं उनकी माताजी की अस्वस्थता के आधार पर दिनांक 30.04.2024 से 15.06.2025 तक लगातार ई–मेल के माध्यम से कुल–17 बार उपार्जित अवकाश का आवेदन प्रेषित किया था, जिस पर मानवीय आधार पर विचार नहीं किया गया।

(कृ0पृ0उ0)

इस संबंध में श्रीमती आरूप को अवकाश की आवश्यकता के आधार पर अपने नियंत्री पदाधिकारी से संपर्क कर वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए था। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा इतनी लंबी अवधि तक कार्यालय से अनधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी से संपर्क किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती आरूप के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया एवं इसके उपरांत इनके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त श्रीमती आरूप द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में कुछ भी नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के आलोक में अधिरोपित दंड के संबंध में पुनः विचार किया जा सके। अतः श्रीमती आरूप द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23738 दिनांक 22.12.2025 द्वारा **"निन्दन (आरोप वर्ष 2024–25)"** की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को बरकरार रखे जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती आरूप (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 969/23, विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23738 दिनांक 22.12.2025 द्वारा **"निन्दन (आरोप वर्ष 2024–25)"** की शास्ति को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–01/2025–सा0प्र0– 4413 **/पटना, दिनांक–** 6.3.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रु, पटना (बिहार)–800006/श्रीमती आरूप (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 969/23, विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.3.26

सरकार के अवर सचिव।